

¹[नियम 83क : माल और सेवाकर व्यवसायियों की परीक्षा

- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिनका संदर्भ नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में हैं और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है, उक्त नियम के उपनियम (3) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- (2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "अकादमी" कहा गया है) परीक्षा का संचालन करेगी।
- (3) **परीक्षा की बारंबारता.**— परीक्षा, बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद् सचिवालय की शासकीय वेबसाइट पर तथा प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में अकादमी द्वारा प्रकाशित अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार संचालित की जायेगी।
- (4) **परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस का संदाय.**—
 - (i) कोई व्यक्ति, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्टर करेगा।
 - (ii) कोई व्यक्ति जो परीक्षा के लिए रजिस्टर करता है, अकादमी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस का संदाय करेगा और इसकी रकम तथा इसके संदाय की रीति बोर्ड, अकादमी तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट पर अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (5) **परीक्षा केन्द्र.**— परीक्षा संपूर्ण भारत में अभिहित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकरण के समय अकादमी द्वारा यथा प्रदत्त केन्द्रों की सूची से चयन का विकल्प दिया जाएगा।
- (6) **परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि और अनुज्ञात प्रयासों की संख्या.**—
 - ²(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित हैं, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 60/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.10.2018 द्वारा नियम 83क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.10.2018)।

² अधिसूचना क्रमांक 49/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा खंड (i) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(i) नियम 83 के उपनियम (2) के निबंधानुसार माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया जाता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी माल और सेवाकर व्यवसायी के लिए, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट होगी।"

- (ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति कितनी बार भी प्रयास कर सकेगा किन्तु यह प्रयास खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होंगे।
 - (iii) परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार रजिस्टर करना तथा अपेक्षित फीस का संदाय करना होगा।
 - (iv) यदि माल और सेवा कर व्यवसायी अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि गंभीर रोग, दूर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण एक या अधिक प्रयासों का लाभ उठाने से निवारित हो जाता है, तो वह उसे उक्त परीक्षा के आयोजन से पंद्रह दिन के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और प्रयत्न करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारिता आयुक्त को लिखित में अनुरोध कर सकेगा। अकादमी, अधिकारिता आयुक्त की सिफारिशों पर गुणागुण के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकेगा।
- (7) **परीक्षा की प्रकृति.**— परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षण होगी। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलकर बना एक प्रश्न पत्र होगा। प्रतिमान और पाठ्यक्रम अनुलग्नक—क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- (8) **अर्हता अंक.**— किसी व्यक्ति से कुल अंकों का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
- (9) **अभ्यर्थियों के लिए मार्ग निर्देश.**—
- (i) अकादमी परीक्षा मार्गनिर्देश जारी करेगी जिसमें रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, फीस का संदाय, पहचान दस्तावेजों की प्रकृति, प्रवेश पत्र का उपबंध, परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की रीति, परीक्षा केन्द्र पर कतिपय वस्तुओं को रखने का प्रतिषेध, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और इसके निपटान की रीति जैसे मुद्दे सम्मिलित होंगे।
 - (ii) ऐसा व्यक्ति, जो अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग करने में लिप्त है या पाया गया है, को उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग का दृष्टांत निम्न प्रकार है:
 - (क) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहयोग प्राप्त करना;
 - (ख) प्रतिरूपण करना;
 - (ग) जारी दस्तावेज प्रस्तुत करना;
 - (घ) परीक्षा के संबंध में या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अनुचित साधनों या प्रथाओं का सहारा लेना;
 - (ङ.) किसी कागज, पुस्तक, नोट या किसी अन्य सामग्री का कब्जे में पाया जाना जिसके परीक्षा केन्द्र में प्रयोग करने की अनुज्ञा न हो;
 - (च) दूसरों के साथ संवाद करना या केलकुलेटर्स, पर्ची, कागजों आदि (जिस पर कुछ लिखा हो) आदि का आदान प्रदान करना;
 - (छ) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना;
 - (ज) परिनियोजित हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के साथ गड़बड़ करना; और

(झ) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से कोई कृत्य, यथास्थिति, करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करना।

- (10) **अनुचित साधनों या प्रथाओं या प्रयोग करने वाले व्यक्ति का निरर्हित होना.**—यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग में लिप्त है या पाया गया है, अकादमी उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, परीक्षा के लिए उसे निरर्हित घोषित कर सकेगी।
- (11) **परिणाम की घोषणा.**—अकादमी परीक्षा के संचालन के एक माह के भीतर बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद् सचिवालय और संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के कर विभाग, यदि कोई है, की प्राधिकृत वेबसाइटों पर परिणाम की घोषणा करेगी।
- (12) **अभ्यावेदनों पर कार्यवाई.**—ऐसा व्यक्ति जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अकादमी या अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल की प्राधिकृत वेबसाइटों पर अकादमी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में कारणों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए अभ्यावेदित कर सकेगा।
- (13) **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां बोर्ड या राज्य कर आयुक्त की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके परिषद् की सिफारिशों पर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगा।

व्याख्या — इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, पद—

- (क) “अधिकारिता रखने वाला आयुक्त” से ऐसा आयुक्त अभिप्रेत है जो **जीएसटी पीसीटी-1 प्ररूप** में जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन में पते के रूप में घोषित किए गए स्थान पर अधिकारिता रखता है। आयुक्त केन्द्रीय कर आयुक्त को यदि नामांकन करने वाले प्राधिकारी को **पीसीटी-1 प्ररूप** में केन्द्र के रूप में चयन किया गया है या राज्य कर आयुक्त को यदि **पीटीसी-1 प्ररूप** में नामांकन करने वाले प्राधिकारी का राज्य के रूप में चयन किया गया है।
- (ख) अकादमी से अधिसूचना संख्यांक 24/2018—केन्द्रीय कर, तारीख 28.05.2018 द्वारा यथा अधिसूचित अकादमी अभिप्रेत है।

अनुलग्नक — क

[उप-नियम 7 देखिए]

परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र : जीएसटी विधि और प्रक्रिया :	
समय :	2 घंटे और 30 मिनट
एकाधिक विकल्प प्रश्नों की संख्या :	100
प्रश्नों की भाषा :	अंग्रेजी और हिन्दी
अधिकतम अंक :	200
अर्हक अंक :	100
कोई नकारात्मक अंक नहीं।	

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

पाठ्यक्रम :	
1	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
3	राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
4	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
5	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6	केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017
7	एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017
8	सभी राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017
9	उक्त अधिनियमों और नियमों के अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश ।]